HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 1794/2021

Bahadur Singh S/o Shri Kamal Singh, Aged About 50 Years, R/o Village Gadhera, Tehsil Kumher, Distt. Bharatpur.

----Appellant

Versus

1. The Oriental Insurance Company Limited, Through Branch Manager, Branch Office-21 Station Road, Nai Mandi Bharatpur. (Raj.)
2. Shyam Singh S/o Shri Hukam Singh, R/o Village Gadhera, Tehsil Kumher, Distt. Bharatpur. (Raj.)

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Himmat Singh Bikarwar, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Raaj Pal Chaudhary, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

25/02/2026

अपीलार्थी–दावेदार (आगे ''दावेदार'' कहा जावेगा) की ओर से यह अपील धारा 30 कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (आगे ''अधिनियम–1923'' कहा जावेगा) के तहत विद्वान न्यायालय कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त, भरतपुर द्वारा प्रकरण E.C.A.(N.F.)/D-78/2012 में पारित निर्णय दिनांक 23.09.2020 से व्यथित होकर पेश की है जिसके माध्यम से दावेदार का क्लेम खारिज किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का निवेदन है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अत्यधिक तकनीकि दृष्टिकोण अपनाते हुए साक्ष्य के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, दावेदार तथा विपक्षी संख्या–1 के बीच कर्मचारी तथा नियोजक का संबंध होना स्पष्ट है, अन्त में अपीलाधीन निर्णय को अपास्त कर मामला विद्वान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने अथवा प्रतिकर राशि इसी न्यायालय द्वारा दिलाये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी–बीमा कम्पनी का निवेदन है कि दावेदार बहादुर सिंह द्वारा अपने आपको श्यामसिंह का कर्मचारी होना बताते हुए विचारण न्यायालय में दावा याचिका प्रस्तुत की गयी थी। दावेदार, श्यामसिंह का कर्मचारी नहीं था, अतः ऐसी स्थिति में बीमा कम्पनी का कोई दायित्व नहीं बनता है। यह भी निवेदन किया कि ''अधिनियम–1923'' की धारा–30 के प्रावधानों के अनुसार विधि का सारवान प्रश्न अन्तर्वलित होने पर ही यह अपील पोषणीय है, चूंकि इस मामले में ली गयी आपत्ति व प्रश्न तथ्यों के संबंध में है तथा विधि का कोई सारवान प्रश्न अन्तर्वलित नहीं है, अतः ''अधिनियम–1923'' की धारा–30 के प्रावधान तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा North East Karnataka Road Transport Corporation Vs. Smt. Sujatha (2019) 11 SCC 514 में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार यह अपील पोषणीय नहीं है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक निर्णय North East Karnataka Road Transport Corporation Vs. Smt. Sujatha (Supra) के सुसंगत पैरा संख्या–9, 10, 11 तथा 12 निम्नानुसार है–

> **9.** At the outset, we may take note of the fact, being a settled principle, that the question as to whether the employee met with an accident, whether the accident occurred during the course of employment, whether it arose out of an employment, how and in what manner the accident occurred, who was negligent in causing the accident, whether there existed any relationship of employee and employer, what was the age and monthly salary of the employee, how many are the dependents of the deceased employee, the extent of disability caused to the employee due to injuries suffered in an accident, whether there was any insurance coverage obtained by the employer to cover the incident etc. are some of the material issues which arise for the just decision of the Commissioner in a claim petition when an employee suffers any bodily injury or dies during the course of his employment and he/his LRs sue/s his employer to claim compensation under the Act.
>
> **10.** The afore-mentioned questions are essentially the questions of fact and, therefore, they are required to be proved with the aid of evidence. Once they are proved either way, the findings recorded thereon are regarded as the findings of fact.
>
> **11.** The appeal provided under Section 30 of the Act to the High Court against the order of the Commissioner lie only

against the specific orders set out in clause (a) to (e) of Section 30 of the Act with a further rider contained in first proviso to the Section that the appeal must involve substantial question of law.

12. In other words, the appeal provided under Section 30 of the Act to the High Court against the order of the Commissioner is not like a Regular First Appeal akin to Section 96 of the Code of Civil Procedure, 1908 which can be heard both on facts and law. The appellate jurisdiction of the High Court to decide the appeal is confined only to examine the substantial questions of law arising in the case.

उपरोक्त निर्णय में प्रतिपादित विधिक व्यवस्था तथा अधिनियम–1923 की धारा 30 के प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट है कि विधि का सारवान प्रश्न अन्तर्वलित होने पर ही अपील सुनवाई हेतु ग्रहण की जा सकती है। वर्तमान मामले में दावेदार द्वारा यह अभिकथित किया है कि वह विपक्षी संख्या–1 का कर्मचारी था और विपक्षी संख्या–1 के ट्रेक्टर आर.जे.05/आर.ए. 3589 पर घटना के समय चालक था। विचारण के उपरान्त यह प्रकट हुआ है कि उपरोक्त वाहन विपक्षी श्यामसिंह के स्वामित्व का न होकर श्यामसिंह के माता–पिता रामवती तथा हुकुमसिंह के स्वामित्व का है और उसी रूप में बीमा कम्पनी द्वारा पॉलिसी जारी की गयी है। हुकुमसिंह तथा रामवती को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया है तथा दावेदार उपरोक्त दोनों का कर्मचारी रहा हो, ऐसा भी अभिकथन नहीं है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के उपरान्त अपना निष्कर्ष देते हुए क्लेम याचिका खारिज की है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध महत्वपूर्ण साक्ष्य को नजरअंदाज कर अपना निष्कर्ष दिया हो अथवा दिया गया निष्कर्ष साक्ष्य के अभाव में हो और इस कारण से मनमाना व अनुचित हो, ऐसी स्थिति अभिलेख पर नहीं है।

उपरोक्त परिस्थितियों में विधि का कोई सारवान प्रश्न इस मामले में अन्तर्वलित नहीं है, इस प्रकार न्यायिक निर्णय North East Karnataka Road Transport Corporation (पूर्वोक्त) में प्रतिपादित व्यवस्था तथा अधिनियम–1923 की धारा–30 के अनुसार यह अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज होने योग्य है।

तदनुसार अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.09.2020 की पुष्टि करते हुए यह अपील खारिज की जाती हैं।

विचारण न्यायालय का अभिलेख यदि प्राप्त हो रखा है तो इस आदेश की प्रति के साथ विचारण न्यायालय को प्रेषित किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

Mittal /83